सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः– 2024 / 66 दर्ज तिथिः–29.01.2024

1. सुरताराम पुत्र गेनाराम
2. वागाराम पुत्र गैनाराम
3. लक्ष्मणराम पुत्र दीपाराम
4. गंगाराम पुत्र दीपाराम
5. किशनाराम पुत्र दीपाराम
6. कंवराराम पुत्र दीपाराम
7. अंतरीदेवी पत्नी दीपाराम
   जाति मेगवाल निवासी राणासर खुर्द तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर

......................प्रार्थीगण

बनाम

1. अगरीदेवी पत्नी रिड़मलराम
2. कालीदेवी पत्नी भीखाराम
3. गुलीदेवी पत्नी काछबाराम
   जाति मेगवाल निवासी राणासर खुर्द तहसील नोखड़ा जिला बाडमेर
4. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाड़मेर

.................अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री डालुराम चौधरी
अप्रार्थीगणः–एकतरफा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131,136
राजस्थान भू–राजस्व अधि.–1956

–ःनिर्णयः–

निर्णय तिथिः–17.01.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.26 16:23:42 IST
Reason: SelfAttested

172 / 1 / 1.3436 है0 मौजा राणासर खुर्द तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर में अवस्थित है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी आराजी के पडोस में अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 172 / 2 / 1.3436 है0 मौजा राणासर खुर्द तहसील नोखड़ा में अवस्थित है। उक्त आराजी का मूल खसरा एक 172 मौजा राणासर खुर्द तहसील नोखड़ा ही था। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 ता 03 द्वारा मूल खसरा संख्या 172 के खातेदारान से उक्त खसरा संख्या 172 / 1 व 172 / 2 जरिये पंजीकृत बयनामा क्रय की गई थी। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पंजीकृत बयनामा का नामांतरकरण संख्या 402 के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया गया। जिसमें अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 03 को खसरा संख्या 172 के दक्षिणी सेढे खसरा संख्या 183 के पड़ौस में भूमि का बेचान किया गया तथा प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 01 से 03 को बेचान भूमि व मूल खसरा संख्या 172 के खातेदार जगमालराम, जेठाराम, रामाराम पिता मोतीराम की शेष बची भूमि के बीच की भूमि का बेचान किया गया तथा इसी अनुसार कब्जा सौंपा गया। परंतु राजस्व कार्मिकों द्वारा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण को आवंटित खसरान की लट्ठा ट्रेस में तरमीम करते समय त्रुटिवश प्रार्थीगण के कब्जे—काश्त की भूमि पर अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 03 को आवंटित खसरा संख्या 172 / 2 तथा अप्रार्थी संख्या 01 ता 03 के कब्जे काश्त की भूमि पर प्रार्थीगण को आवंटित खसरा संख्या 172 / 1 लिख दिया। जिससे मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड लट्ठा ट्रैस में भिन्नता आ गई। असल में प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—अ के अनुसार होनी अपेक्षित है। अतः प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—अ के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण के बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार नोखड़ा से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक / भू0अ0 / 2024 / 1854 दिनांक 12.12.2024 द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रकरण में बहस सुनी गई। दौरान—ए—बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—अ के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में सर्वप्रथम हाल राजस्व नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में विवादित आराजी का हाल राजस्व नक्शा इस प्रकार हैः—

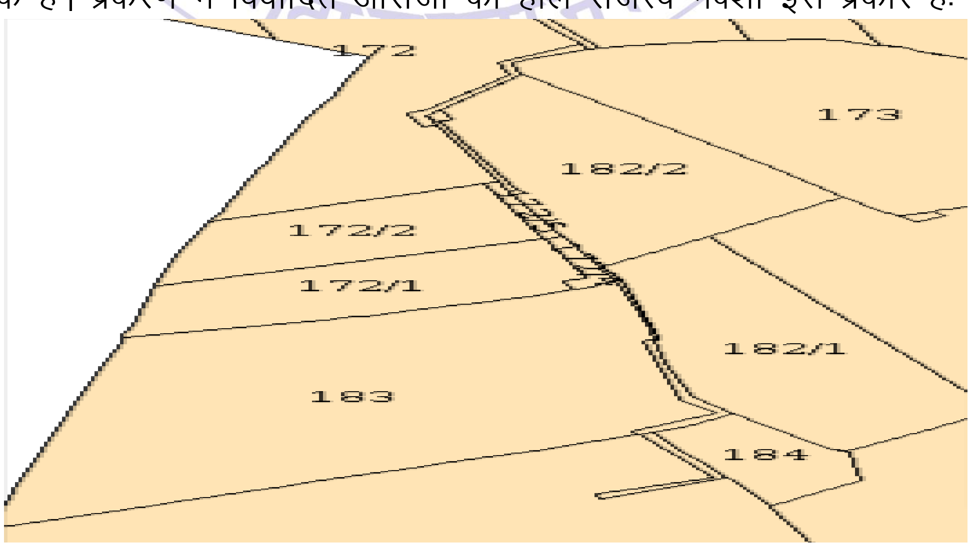

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.26 16:23:42 IST
Reason: SelfAttested

5. उक्त हाल राजस्व नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 172 / 1 तथा अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी आराजी खसरा संख्या 172 / 2 मौजा राणासर खुर्द तहसील नोखड़ा पडोस में अवस्थित है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु परिशिष्ट—अ प्रस्तुत किया है। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट—अ का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः—

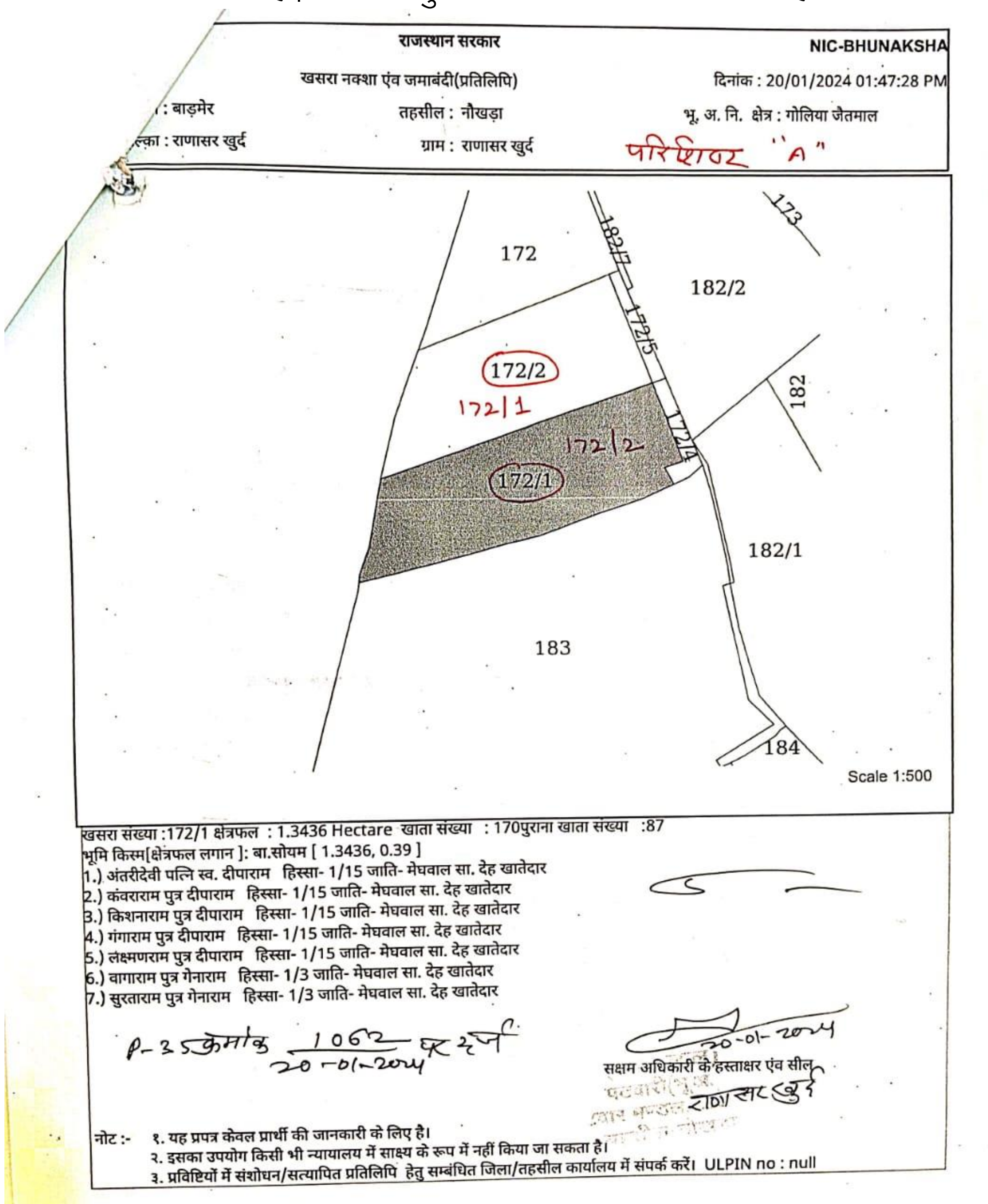
राजस्थान सरकार NIC-BHUNAKSHA
खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि) दिनांक : 20/01/2024 01:47:28 PM
: बाड़मेर तहसील : नौखड़ा भू. अ. नि. क्षेत्र : गोलिया जैतमाल
ल्का : राणासर खुर्द ग्राम : राणासर खुर्द परिशिष्ट "A"

खसरा संख्या :172/1 क्षेत्रफल : 1.3436 Hectare खाता संख्या : 170पुराना खाता संख्या :87
भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बा.सोयम [1.3436, 0.39]
1.) अंतरीदेवी पत्नि स्व. दीपाराम हिस्सा- 1/15 जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार
2.) कंवराराम पुत्र दीपाराम हिस्सा- 1/15 जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार
3.) किशनाराम पुत्र दीपाराम हिस्सा- 1/15 जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार
4.) गंगाराम पुत्र दीपाराम हिस्सा- 1/15 जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार
5.) लक्ष्मणराम पुत्र दीपाराम हिस्सा- 1/15 जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार
6.) वागाराम पुत्र गेनाराम हिस्सा- 1/3 जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार
7.) सुरताराम पुत्र गेनाराम हिस्सा- 1/3 जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार

P-35 क्रमांक 1062 / 20-01-2024 दर्ज
20-01-2024
सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील
राणासर खुर्द

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null

6. प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट—अ के परीक्षण के पश्चात तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक / भू0अ0 / 2024 / 1854 दिनांक 12. 12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। उक्त तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक / भू0अ0 / 2024 / 1854 दिनांक 12.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः—

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.26 16:23:42 IST
Reason: SelfAttested

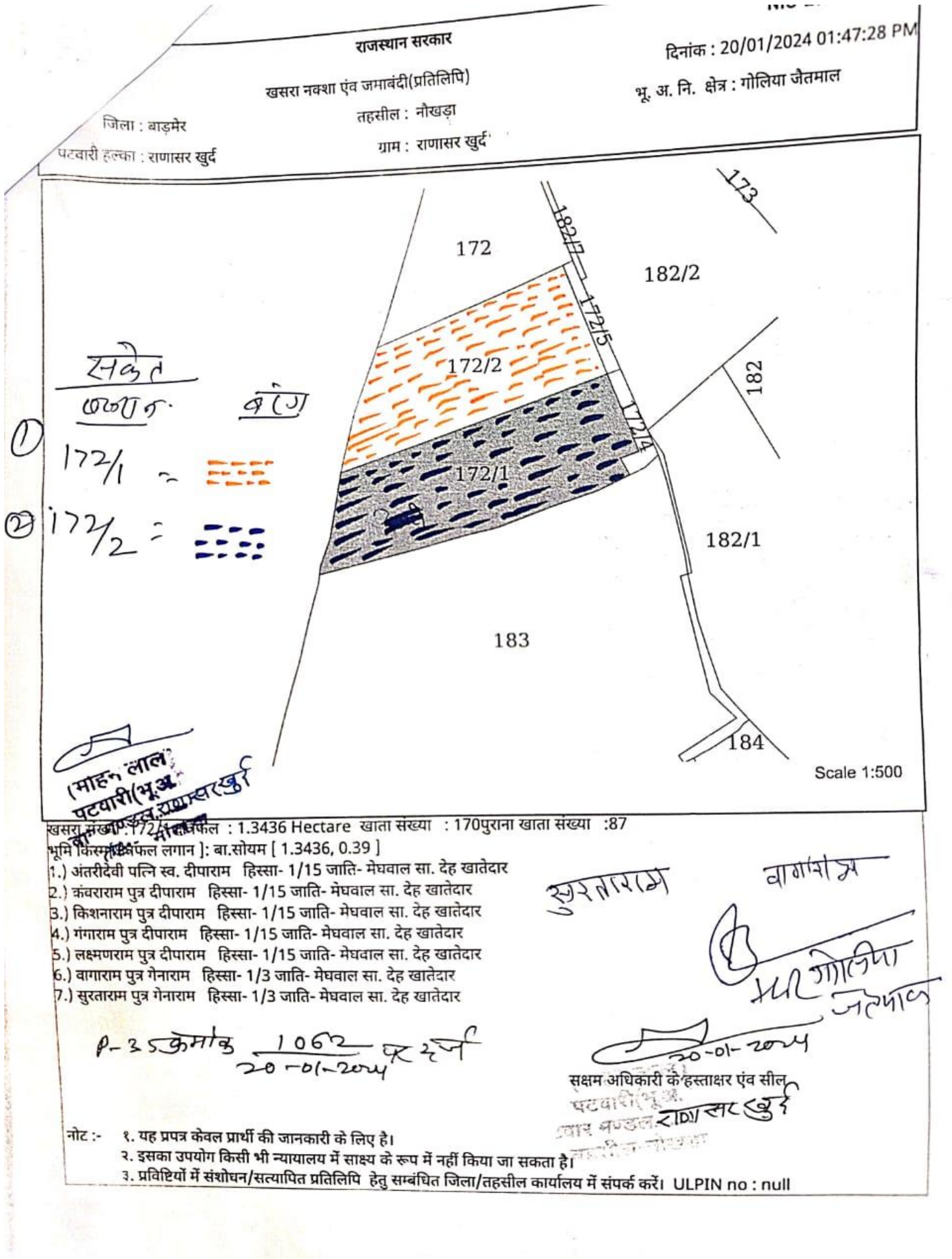

राजस्थान सरकार

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 20/01/2024 01:47:28 PM

भू. अ. नि. क्षेत्र : गोलिया जैतमाल

जिला : बाड़मेर

तहसील : नौखड़ा

पटवारी हल्का : राणासर खुर्द

ग्राम : राणासर खुर्द

खसरा संख्या : 172/1 क्षेत्रफल : 1.3436 Hectare खाता संख्या : 170पुराना खाता संख्या :87

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बा.सोयम [1.3436, 0.39]

1.) अंतरीदेवी पत्नि स्व. दीपाराम हिस्सा- 1/15 जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार
2.) कंवराराम पुत्र दीपाराम हिस्सा- 1/15 जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार
3.) किशनाराम पुत्र दीपाराम हिस्सा- 1/15 जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार
4.) गंगाराम पुत्र दीपाराम हिस्सा- 1/15 जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार
5.) लक्ष्मणराम पुत्र दीपाराम हिस्सा- 1/15 जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार
6.) वागाराम पुत्र गेनाराम हिस्सा- 1/3 जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार
7.) सुरताराम पुत्र गेनाराम हिस्सा- 1/3 जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null

7. प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा द्वारा तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक ⁄ भू0अ0 ⁄ 2024 ⁄ 1854 दिनांक 12.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के प्रासांगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः—

   1. प्रार्थी की खातेदारी खसरा संख्या 172 ⁄ 1 ग्राम राणासर खुर्द रजिस्टर्ड बेचाननामा अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शा में तरमीम नहीं है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.26 16:23:42 IST
Reason: SelfAttested

2. अप्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 172/2 ग्राम राणासर खुर्द रजिस्टर्ड बेचान अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शा में तरमीम नहीं है।
3. खसरा संख्या 172/1 तथा खसरा संख्या 172/2 के कब्जे अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित है।
4. खसरा संख्या 172/1 तथा खसरा संख्या 172/2 का मौका कब्जा व रजिस्टर्ड बेचान अनुसार तरमीम संलग्न नक्शे अनुसार किया जाना उचित है।

8. प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा द्वारा तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक/भू0अ0/2024/1854 दिनांक 12.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा हाल राजस्व नक्शा के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 172/1 तथा अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी आराजी खसरा संख्या 172/2 मौजा राणासर खुर्द पडोस में अवस्थित है। इस प्रकार हाल राजस्व नक्शा व कब्जे अनुसार प्रस्तावित नजरी नक्शा के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी की आराजी का रकबा समान है। परन्तु कब्जे के मुताबिक तरमीम नहीं की हुई है। तहसीलदार नोखड़ा द्वारा तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक/भू0अ0/2024/1854 दिनांक 12.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट से प्रस्तावित तरमीम से प्रार्थी व अप्रार्थी की आराजी का रकबा प्रभावित नहीं होगा। अपितु कब्जे के अनुसार तरमीम दुरूस्ती की जाकर केवल राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन होगा। इस प्रकार मुताबिक तहसीलदार नोखड़ा द्वारा तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक/भू0अ0/2024/1854 दिनांक 12.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नोखड़ा को निर्देश दिये जाते हैं कि पत्रांक/भू0अ0/2024/1854 दिनांक 12.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुडामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 17.01.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.26 16:23:42 IST
Reason: SelfAttested